कार्यालय आदेश
केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार, पटना
05, हार्डिंग रोड, नजदीक सप्तमूर्ति (शहीद स्मारक), पटना–800001
(वेबसाइट–www.csbc.bih.nic.in)

विज्ञापन सं0–02/2022 के अन्तर्गत मद्यनिषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 'मद्यनिषेध सिपाही' के पद पर चयन हेतु अभ्यर्थियों का D.V.(Document Verification) के संदर्भ में।

आवश्यक सूचना
विज्ञापन संख्या–02/2022

वि0सं0–02/2022 मद्यनिषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के PET PASS अभ्यर्थियों का D.V.(Document Verification) के क्रम में पाया गया है कि कई BC / EBC अभ्यर्थियों द्वारा शपथ पत्र फॉर्म **xviiiB** के साथ पूर्व निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया है।

विदित हो कि बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का पत्र संख्या–11/आ0.2–आ0नी0–05/2010 सा0प्र015440, दिनांक– 05.12.2017 में उल्लेखित है **"परिपत्र संख्या–673, दिनांक–08.03.2011 की कण्डिका–(8) में प्रावधान है कि क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र बार–बार निर्गत नहीं किये जायेंगे। पूर्व निर्गत प्रमाण पत्र की स्थिति में क्रीमीलेयर में नही होने संबंधी स्वयं शपथ–पत्र फॉर्म–xviii में आवेदक/आवेदिका द्वारा दिया जायेगा, जो मान्य होगा"।**

"भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली के नवीनतम पत्रांक–36033/1/2013–स्था0(आरक्षण) दिनांक–13.09. 2017 द्वारा आय/सम्पति के निर्धारण को संशोधन करते हुए 6.00 लाख से बढ़ाकर 8.00 लाख किया गया है, जिसे राज्य में लागू करने का निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–13687 दिनांक–31.10.2017 द्वारा लिया गया है"।

"इस प्रकार परिपत्र संख्या–16470 दिनांक 15.10.2013 के साथ परिचारित फॉर्म xviiiA में 8.00 लाख की प्रविष्टि आवश्यक हो गयी है। इसी क्रम में फॉर्म xviiiA के स्थान पर संशोधित फॉर्म xviiiB निर्गत किया जा रहा है (छायाप्रति संलग्न)"।

इस सूचना के माध्यम से कहना है कि भारत सरकार / बिहार सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुरूप क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र शपथ पत्र फॉर्म **xviiiB** के साथ पूर्व का निर्गत प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए केन्द्रीय चयन पर्षद(सिपाही भर्ती), बिहार, पटना स्थित बैक हार्डिंग कार्यालय, सचिवालय हाल्ट के पास **दिनांक–19.10.2023 से 29.10.2023 तक** के बीच किसी भी कार्य दिवस को जमा करा दे अन्यथा आपकी अभ्यर्थिता पर पुर्नविचार करने हेतु पर्षद बाध्य होगी।

इसे अतिआवश्यक समझा जाय।

अनु0–यथोक्त।

ह0/–
अध्यक्ष,
केन्द्रीय चयन पर्षद(सिपाही भर्ती),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–22/के0च0प0(सू0),
अध्यक्ष, केन्द्रीय चयन पर्षद(सिपाही भर्ती) का कार्यालय,
05, हार्डिंग रोड, नजदीक सप्तमूर्ति(शहीद स्मारक), बिहार, पटना–800001
दिनांक–18.10.2023

(फॉर्म–XVIII B)

अधिकारिक घोषणा पत्र का विहित प्रपत्र

(आवेदक द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र)

मैं.. पुत्र/पुत्री श्री ....निवासी, ग्राम/करबा/शहर.. पोस्ट .. .., थाना ...., प्रखण्ड .... जिला ...., राज्य .... एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं .... समुदाय का/की हूँ, जो कि कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक–08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या–360112/22/93–स्था0 (एस0सी0टी0) में निहित आदेश के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजन से भारत सरकार/बिहार सरकार द्वारा क्रमशः ओ0बी0सी0/पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं दिनांक–08.09.1993 एवं 13.09.2017 के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची के कॉलम–3 में उल्लेखनीय व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से संबंधित नहीं हूँ।

हस्ताक्षर शपथकर्त्ता।